न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 71/2018

प्रार्थी :– सरकार जरिये तहसीलदार रोहट

बनाम

अप्रार्थी:–

1. राजकुमार पुत्र रूलीराम अग्रवाल निवासी 1 सी 09, राहुल बिल्डिंग, मार्वेरोड़ मलाड वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. इन्दुश्याम अग्रवाल पत्नी श्यामचंद्रपाल अग्रवाल, निवासी 207, स्नेहल, कॉ–ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, आदर्शलेन मार्वेरोड, मलाड पश्चित, मुम्बई (महाराष्ट्र)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.07.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के पुराने खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख.न. 285/6 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/7 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर ए.डी. के तलब किया गया। जो एक माह से भी अधिक अवधि गुजर जाने के पश्चात भी रजिस्ट्री पुनः प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार तामील मानी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के पुराने खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख. न. 285/6 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन किस्तुर पुत्र प्रभु कारीगर के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. दर्ज किया गया है। जिनकी पालना में ना.स. 181 दिनांक 08.04.1975 के द्वारा किस्तुर को गैर खातेदार दर्ज किया गया, नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 21.01.1985 के द्वारा किस्तुर का खातेदार दर्ज किया तथा किस्तुर को एक अन्य भुमि जो की पुराने ख.न. 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख.न. 285/7 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी का आवंटन भू आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 28.04.1976 को आवंटित की जिसकी पालना में ना.स. 243 दिनांक 28.04.1976 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं ना.स.392 दिनांक 24.06. 1989 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। उक्त दोनों आराजी को किस्तुर पुत्र प्रभु कारीगर ने अप्रार्थी संख्यां 1 राजकुमार राजगडिया एंव अप्रार्थी संख्या 2 इंदुश्याम अग्रवाल को जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 26.02.2008 एवं 14.02.2008 को बैचाण कर दिया जिनका एक नामान्तरकरण संख्या 599 दिनांक 21.04.2008 को सरपंच कलाली के द्वारा स्वीकृत किया

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

गया। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत किस्म गै.मु. नदी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित प्रथम आराजी का नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 08.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 21.01.1985 तथा द्वितीय आराजी का नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 28.04.1976 एंव इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 392 दिनांक 24.06.1989 एवं उक्त दोनों खसरा नम्बर की आराजी को संयुक्त पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 599 दिनांक 21.04.2008 भरा गया जिसको भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/6 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन किस्तुर पुत्र प्रभु कारीगर के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. दर्ज किया गया है। जिनकी पालना में ना.स. 181 दिनांक 08.04.1975 के द्वारा किस्तुर को गै.खा. दर्ज किया गया, ना.स. 333 दिनांक 21.01.1985 के द्वारा किस्तुर का खातेदार दर्ज किया तथा किस्तुर को एक अन्य भुमि जो की ख.न. 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/7 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी का आवंटन भू आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 28.04.1976 को आवंटित की गई, जिसकी पालना में ना.स. 243 दिनांक 28.04.1976 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं ना.स.392 दिनांक 24.06.1989 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। उक्त दोनों आराजी को किस्तुर पुत्र प्रभु कारीगर ने अप्रार्थी संख्यां 1 राजकुमार राजगडिया एंव अप्रार्थी संख्या 2 इंदुश्याम अग्रवाल को जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 26.02.2008 एवं 14.02.2008 को बैचाण कर दिया जिनका एक ना.स. 599 दिनांक 21.04.2008 को सरपंच कलाली के द्वारा स्वीकृत किया गया। लेकिन प्रार्थी तहसीलदार रोहट ने अपने प्रार्थना पत्र में मूल आवंटी किस्तुर पुत्र प्रभु को पक्षकार नहीं बनाकर केवल केता वर्तमान खातेदारों को ही पक्षकार बनाया है जबकि मूल आवंटी किस्तुर को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक है। भूमिधारी द्वारा मूल आवंटी को पक्षकार न बनाकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से भारी विधिक लापरवाही बरती है, प्रार्थना पत्र के संलग्न आवंटन फॉर्म पूर्ण भरा हुआ नहीं है व उस पर आवंटी एवं साक्षी के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा 10 बीघा भूमि का आवटन फॉर्म जो भरा है वह सीलिंग से आवंटित भूमि के आवंटन बाबत है जो विधी अनुरूप नहीं है। उक्त सभी पूर्ति किए बिना व उसे बिना सूने जैर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त पूर्तियों को करते हुए 15 दिवसों के भीतर प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने हेतु प्रेषित किया जावे। प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को श्री ताराचंद प्रजापत, तहसीलदार रोहट के विरूद्ध लापरवाही पूर्ण किए गए उपरोक्त कृत्य के लिए विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को प्रेषित की जावे। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली